

प्रेषक

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 25 अप्रैल, 2018

विषय:- जनपद इलाहाबाद में डी०एफ०सी०सी०आई०एल० रेल मंत्रालय इलाहाबाद (ईस्ट) द्वारा (इलाहाबाद-रीवा रोड) एन०एच० 27 (न्यू एन०एच०-30) के किमी० 9-10 के मध्य दोनों पटरियों पर ग्राम दादपुर एवं किमी० 13-14 के मध्य दायी पटरी पर रोड अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु 0.588 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 17 वृक्ष एवं 10 पौधों (0 से 30 सेमी० व्यास) के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1584/11-सी-एफपी/यूपी/रेल/20812/2016, दिनांक 13-12-2017 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 11-10-2017 व विधिवत स्वीकृति, दिनांक 06-12-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इलाहाबाद में डी०एफ०सी०सी०आई०एल० रेल मंत्रालय इलाहाबाद (ईस्ट) द्वारा (इलाहाबाद-रीवा रोड) एन०एच० 27 (न्यू एन०एच०-30) के किमी० 9-10 के मध्य दोनों पटरियों पर ग्राम दादपुर एवं किमी० 13-14 के मध्य दायी पटरी पर रोड अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु 0.588 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 17 वृक्ष एवं 10 पौधों (0 से 30 सेमी० व्यास) के पातन की अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तों/प्रतिबंधों एवं मा० न्यायालय के आदेशों को एतद्वारा निम्नवत सम्मिलित करते हुये विज्ञप्ति निर्गत की जाती है:-

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

भा०स०

(2) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि (0.588 x 2 = 1.176 हे०) अर्थात् 1.176 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। यह वृक्षारोपण विधिवत स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

(3) अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भा०स० एन०पी०वी० की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

(4) परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं भा०स० जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

- (5) प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के
भा0स0 दौरान मिट्टी/पत्थर काटने व भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
- (6) प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया
भा0स0 जायेगा।
- (7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को
भा0स0 रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की आयेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न
हो।
- (8) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के
भा0स0 लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- (9) प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के
भा0स0 प्राविधानों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (10) प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग
भा0स0 की देख-रेख में किया जायेगा।
- (11) प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर
भा0स0 किया जायेगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backward एण्ड
Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन
का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण जायेगा।
- (12) प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा
भा0स0 असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त
करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (13) प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी
भा0स0 नियम,कानून तथा दिशा-निर्देशों का पालन करेगी।
- (14) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- 11-98/-एफसी, दिनांक 08-07-
2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा
प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन
सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
- (15) प्रस्तावक विभाग को भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व
अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
- (16) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0
संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-
2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक
वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि
प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund,
Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की

- जायेगी।
- (17) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा
- (18) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, 30प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- (19) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- (20) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (21) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।
- (22) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(23) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ 30प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग,लागिंग एवं ट्रान्सपोटेशन चार्ज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(24) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-25 (1)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- (1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।
- (2)- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
- (3) प्रबन्ध निदेश, 30प्र0वन निगम, लखनऊ।
- (4) मुख्य वन संरक्षक, इलाहाबाद।
- (5)- प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
- (6) परियोजना प्रबंधक,डी0एफ0सी0सी0 इलाहाबाद।
- (7)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 दीपक कोहली)
अनुसचिव